l jkguh; dk;l
çsl ukV
lks'ky ehfM;k lsy xks.Mk
fnukad 14-11-2022

Fkkuk /kkuqij {k= d vUrxr gR;k dj 'ko dk Nqikus dh ?kVuk dk [kqykl] 02 vfHk;qDr fxj¶rkj&

दिनांक 10.11.2022 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत रामसमुझ के बाग में एक लडके का शव प्राप्त हुआ था। मृतक सुनील कुमार की मां श्रीमती कुसमा देवी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में टीमे गठित कर प्र0नि0 थाना धानेपुर को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान पतारसी–सुरागरसी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों–01. आशीष, 02. पूनम को आनन्द चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक सुनील कुमार व पूनम के बीच काफी दिनों से प्रेमप्रसंग चल रहा था। समाज में बदनामी के चलते पूनम मृतक सुनील कुमार से पीछा छुडाना चाह रही थी लेकिन मृतक द्वारा लगातार पूनम को परेशान किया जा रहा था। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से उक्त दोनो अभियुक्तों द्वारा दिनांक 07.11.2022 को अपने साथी अभियुक्त विकास उर्फ आकाश के साथ मृतक सुनील कुमार को हुनमानगढ़ी मंदिर मेहनौन निकट नहर पुलिया पर बुलाकर सूनसान जगह बंजारनडीह के पास गलादबा कर हत्या कर दी गयी थी और शव को वही गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। दो दिन बाद दिनांक 09.11.2022 की रात्रि उक्त अभियुक्तों द्वारा बोलेरो से मृतक के शव को गन्ने के खेत से उठाकर कालीमाता के स्थान से कुछ दूर बगीचे में लाकर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटकाने का प्रयास किया गया था परन्तु समय अधिक हो जाने के कारण शव को वही बगीचे में छोड कर फरार हो गए थे। फरार अभियुक्त विकास उर्फ आकाश की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

fxj¶rkj vfHk;qDrx.k&

01. आशीष पुत्र रामसुन्दर नि0 ग्राम सहजौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

02. पूनम पत्नी सन्तोष कश्यप नि0 निवासिनी ग्राम सहजौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

iathd`r vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–283/22, धारा 302,201 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 01 अदद मोबाइल।

02. 1400/– नगद।

fxj¶rkj djus okyh Vhe&

प्र0नि0 निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता थाना धानेपुर मय टीम।

dk;ky; ifyl v/kh{kd tuin xk.Mk fnukd 14-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kdk dk eíutj ifyl }kjk dh x;h dk;okgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

o1 okjVh vfHk;ä fxj¶rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

vo/k 'kjkc dk fu"d"k.k] fcØh o ifjogu dk fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk;okgh&

01- Fkkuk eudkiij }kjk dh x;h dk;okgh&

01. दिलीप कुमार रामशब्द नि0 कुन्दन पुरवा ऐलनग्रन्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–495/22, 02. रामू पुत्र स्व0 जगदम्बा प्रसाद नि0 थनवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–496/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk othjxt }kjk dh x;h dk;0kkgh&

01. राकेश सोनकर पुत्र रामसहाय सोनकर नि0 ग्राम बंधवा चमारनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–478/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk uokcxt }kjk dh x;h dk;0kkgh&

01. हरिश्चन्द्र पुत्र बुधराम नि0 भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्ज से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–469/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04- Fkkuk rjcxt }kjk dh x;h dk;0kkgh&

01. राम करन राना पुत्र रामजग राना नि0 ग्राम पुरैनी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–440/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेसनोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 14.11.2022

लूट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने लूट करने के वांछित अभियुक्त नंदू उर्फ सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्त दीपक उर्फ कुलदीप पाठक के साथ मिलकर दिनांक 07.12.2021 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ लूटपाट की घटना कारित की थी। जिसमे थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.12.2021 को आरोपी अभियुक्त दीपक उर्फ कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. नंदू उर्फ सत्य प्रकाश पुत्र रामजस वर्मा उर्फ जयप्रकाश वर्मा निवासी ग्राम सालेपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0-380/21, धारा 392 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ताः-

उ0नि0 सुनील कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 14.11.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय–विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त बुधिराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बुधिराम पुत्र रामनेवास नि0 वनकटी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 196/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरुण कुमार राय मय टीम